राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 2144/2015

मदनलाल अगैड़ी **–अपीलार्थी**

बनाम

1. निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
2. उपनिदेशक, माध्यमिक शिक्षा, उदयपुर मण्डल, उदयपुर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 06.07.2015
आदेश की दिनांक : 27.02.2024

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री प्रकाश शर्मा, अधिवक्ता
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री हेमन्त धारीवाल, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी ने अप्रशिक्षित तृतीय श्रेणी अध्यापक के पद पर दिनांक 20.12.1974 को कार्यग्रहण किया और पूर्ण प्रशिक्षित होने पर दिनांक 01.01.1976 को अपीलार्थी को 110–230 के वेतनमान में 110/– प्रतिमाह मूल वेतन पर फिक्स किया गया। अपीलार्थी को 15 वर्षीय चयनित वेतनमान दिनांक 20.12.1989 को दिया गया व 1650/– प्रतिमाह पर फिक्स किया गया। अपीलार्थी को 18 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर द्वितीय चयनित वेतनमान 2000–3200 दिनांक 20.12.1992 से दिया गया। अपीलार्थी ने द्वितीय श्रेणी अध्यापक के पद पर दिनांक 30.09.1994 को कार्यग्रहण किया। पदोन्नति आदेश दिनांक 23.09.1994 (अनुलग्नक–1) पर अवलोकनीय है। अपीलार्थी को पुनरीक्षित वेतनमान 1998 में दिनांक 01.09.1996 को वेतन श्रृंखला 6500–10500 दी गई। अपीलार्थी को पुनरीक्षित वेतनमान 1998 में छठा परिवर्तन अनुसार, आदेश दिनांक 06.04.2002 द्वारा दिनांक 01.07.1998 से वेतन श्रृंखला 5500–9000 में वेतन नियतन कर दिया गया (अनुलग्नक–2)। अपीलार्थी की द्वितीय श्रेणी अध्यापक के पद पर 10 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर दिनांक 30.09.2004 से वेतन श्रृंखला 6500–10500 में वेतन नियतन किया गया (अनुलग्नक–3)। उपनिदेशक, उदयपुर मण्डल, उदयपुर के आदेश दिनांक 29–06–2010 (अनुलग्नक–4) द्वारा दिनांक 25.01.1992 के आदेशों के अनुसार द्वितीय चयनित वेतनमान दिनांक 20.12.1992 से स्वीकृत होने से द्वितीय श्रेणी अध्यापक के पद पर 10 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर दिनांक 30.09.2004 से 6500–10500 वेतनश्रृंखला में दिया लाभ निष्प्रभावी हो गया क्योंकि अपीलार्थी पूर्व से ही 6500–10500 की वेतन श्रृंखला में वेतन प्राप्त कर रहा

था। इस प्रकार अपीलार्थी की द्वितीय श्रेणी अध्यापक के पद पर 10 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर उसे अगली चयनित वेतनमान 7500–12000 दिनांक 30.09.2004 से दिया जाना चाहिए था और उसके उपरान्त ही आगामी वेतनमानों में उसका वेतन निर्धारण किया जाना चाहिए था। परन्तु इसके विपरीत अपीलार्थी को आदेश दिनांक 30.08.2013 (अनुलग्नक–6) द्वारा द्वितीय चयनित वेतनमान दिनांक 20.12.1992 को स्वीकृत करने के करीब 14 वर्ष बाद से तृतीय एसीपी ग्रेड पे 4800/– में दिनांक 20.12.2006 से स्वीकृत की गई है। निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान के पत्र दिनांक 01.01.2005 (अनुलग्नक–7) द्वारा द्वितीय श्रेणी अध्यापक के पद पर 10 वर्ष की सेवा पूर्ण करने के उपरान्त वेतन श्रृंखला 7500–12000 देने का प्रावधान है। दिनांक 30.09.2004 से वेतन श्रृंखला 7500–12000 स्वीकृत करने हेतु अपीलार्थी प्रत्यर्थीगण एवं वित्त सचिव, को रजिस्टर्ड पत्रों दिनांक 09.03.2015, 24.03.2015, 09.04.2015 और 27.04.2015 (अनुलग्नक–8 से 11) द्वारा व प्रधानाचार्य को स्वयं उपस्थित होकर कार्यवाही करने हेतु निवेदन कर चुका है परन्तु आज दिनांक तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है। मजबूर होकर दिनांक 16.06.2015 (अनुलग्नक–12) द्वारा कानूनी नोटिस भी दिलवाया गया परन्तु उस पर भी कोई कार्यवाही नहीं की गई है।

अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार फरमायी जाकर प्रत्यर्थीगण को आदेशित किया जावे कि अपीलार्थी को दिनांक 30.09.2004 से वेतन श्रृंखला 7500–12000 स्वीकृत कर विभिन्न वेतनमानों में तदानुसार वेतन निर्धारण कर, समस्त परिलाभों का भुगतान मय 12 प्रतिशत ब्याज के करें।

प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान् अधिवक्ता ने जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि राज्य सरकार के आदेश दिनांक 07.08.1998 द्वारा शिक्षकों के लिये वरिष्ठ/चयनित वेतनमान के नये प्रावधान लागू किये गये जो दिनांक 01.07.1998 से प्रभावी किये गये, उक्त आदेश के अनुसार तृतीय वेतन श्रृंखला के रूप में नियुक्त कार्मिकों को वरिष्ठ चयनित वेतनमान के रूप में 10/20 वर्ष की सेवा पर वेतन श्रृंखला 5000–8000 एवं 5500–9000 देय थी। अतः अपीलार्थी का 5500–9000 की वेतन श्रृंखला में वेतन निर्धारण तत्कालीन नियमों के अनुसार सही था। पूर्व में वेतन श्रृंखला 6500–10500 स्वीकृत की गई थी, किन्तु राज्यादेश दिनांक 07.08.1998 के कारण पुनः 5500–9000 में वेतन निर्धारण किया गया, के सम्बन्धित प्रकरणों में राज्यादेश दिनांक 04.06.2010 द्वारा पुनः 01.07.1998 से 6500–10500 यथावत कर दी गई है। अपीलार्थी के दिनांक 30.09.2004 से चयनित वेतनमान 7500–12000 की मांग नियमानुसार नहीं होने से स्वीकृत योग्य नही है। वरिष्ठ अध्यापक पद पर न्यूनतम 18 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर ही वेतन श्रृंखला 7500–12000 स्वीकृत योग्य है जबकि अपीलार्थी दिनांक 30.09.2004 वरिष्ठ अध्यापक पद पर 10 वर्ष की सेवा ही पूर्ण करते है। राज्य सरकार द्वारा

पुनरीक्षित वेतनमान 2008 लागू किये जाकर वरिष्ठ चयनित वेतनमान के स्थान पर ए. सी.पी. का प्रावधान किया गया है एवं इनके प्रभावी होने से नियमानुसार अपीलार्थी को III ए.सी.पी. स्वीकृत कर दी गई है जिसे वे स्वयं स्वीकार कर रहें है। अपीलार्थी द्वारा निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के पत्र दिनांक 01.01.2005 की गलत व्याख्या की गई है। दिनांक 30.09.2004 को प्रभावी नियमों के अनुसार अपीलार्थी को चयनित वेतनमान 7500–12000 देय नहीं है। राज्यादेश दिनांक 07.08.1998 के प्रभावी रहने के कारण अपीलार्थी को दिनांक 30.09.2004 से चयनित वेतनमान 7500–12000 देय नही है क्योंकि ये उक्त दिनांक को वरिष्ठ अध्यापक पद पर 18 वर्ष की सेवा पूर्ण नही करते है। अतः अपीलार्थी की अपील निरस्त किए जाने योग्य है।

हमने अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान अधिवक्ता की अपील पर बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अनुशीलन कर मनन किया गया।

राजस्थान सिविल सर्विसेज (रिवाइज्ड पे स्केल्स) नियम 1998 में सामान्य बिन्दु संख्या 8 में निम्न प्रावधान किया गया है:–

"Subject : Rajasthan Civil Services (Revised Pay Scales) Rules, 1998

General note-:

"8- The Senior Teachers drawing pay in the first slection grade of 6500-10500 shall continue to draw pay in the scale as senior scale without considering the eligibility period of service for the senior scale prescribed under this order. This provision shall also be applicable to the respective equivalent posts mentioned above-::

वस्तुत यह प्रावधान उन वरिष्ठ अध्यापकों के लिए था जो प्रथम चयनित वेतनमान 6500–10500 में ले रहे है। वरिष्ठ अध्यापक दो तरह के हैं। प्रथम जिनकी सीधी भर्ती वरिष्ठ अध्यापक के पद पर हुई एवं जिनकी सेवा में प्रवेश के समय वेतन श्रृंखला 5500–9000 निर्धारित की गई एवं प्रथम चयनित वेतनमान 10 वर्ष की सेवा पर 6500–10500 निर्धारित किया है एवं वरिष्ठ श्रृंखला में 8 वर्ष की सेवा पर द्वितीय चयनित वेतनमान 7500–10500 नियत किया गया है। द्वित्तीय प्रकार के वे वरिष्ठ अध्यापक जो अध्यापक ग्रेड से पदोन्नत होकर वरिष्ठ अध्यापक बने उनके अध्यापक ग्रेड–III के प्रवेश पर वेतन श्रृंखला 4500–7000 निर्धारित है एवं प्रथम चयनित वेतनमान 10 वर्ष की सेवा पर 5000–8000 नियत हैं, परन्तु सामान्य बिन्दु संख्या 8 में पदोन्नति से वरिष्ठ अध्यापक बने कार्मिकों के संबंध में कोई प्रावधान नहीं होने से समस्त वरिष्ठ अध्यापकों का, जो चयनित वेतनमान 6500–10500 में ले रहे थे, का वेतन नियतन 6500–10500 वेतन श्रृंखला में कर दिया गया। इस त्रुटि को दूर करने के लिए अधिसूचना दिनांक 08.06.2001 जारी की गई। इसमें उक्त नियम 1998 के

सामान्य बिन्दु सं. 8 को यथावत रखा जाकर उसे 8 (i) क्रमांकित किया गया एवं उसके नीचे दो बिन्दु जोड़े गये, जो निम्नानुसार हैः–

"(ii) The teacher (earstwhile Teacher grade III) drawing pay in the second seletion grade of 6500-10500 and promoted as Senior Teacher prior to 1.7.1989 shall draw pay in the scale of 6500-10500 as senior scale of Senior Teacher. Those Senior Teachers who have not completed nine service as Senior Teacher on 1.7.1998, their pay on 1.7.1998 shall be fixed in the pay scale of 5500-9000 and such Senior Teachers shall be years allowed pay in the senior scale of 6500-10500 on completion of ten years service as Senior Teacher.

(iii) As a result of re-fixation of pay in accordance with the provisions contained in clause (ii) above, the recovery of overpayment, if any, shall stand waived for the period from 1.7.1998 to the date of issue of this Notification-::

इस अधिसूचना दिनांक 08.06.2001 द्वारा वरिष्ठ अध्यापक के सीधी भर्ती एवं पदोन्नति से भर्ती कार्मिकों की स्थिति को स्पष्ट किया गया एवं जो अध्यापक वरिष्ठ अध्यापक के पद पर दिनांक 01.07.1998 को 9 वर्ष की सेवाए पूर्ण नहीं हुई हैं उन्हें दिनांक 01.07.1998 को 5500–9000 में वेतन नियतन किया जावेगा एवं उन वरिष्ठ अध्यापकों को वरिष्ठ वेतन श्रृंखला 6500–10500 में 10 वर्ष की सेवा पूरी होने पर देय होगी एवं पूर्व में गलत वेतन नियतन की वजह से अधिक भुगतान की गई राशि को दिनांक 01.07.1998 से अधिसूचना तिथि (08.07.2001) की अवधि को माफ (waive) कर दिया गया।

इस अधिसूचना के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय में अनेक याचिका दायर हुई एवं माननीय उच्च न्यायालय की एकल पीठ द्वारा उनको स्वीकृत किया गया परन्तु माननीय उच्च न्यायालय द्वारा डी.बी. सिविल स्पेशल अपील (W) 208/2006 राजस्थान राज्य एवं अन्य बनाम रामनिवास पोरवाल तथा अन्य समान 41 प्रकरणों में दिनांक 13.12.2007 का निर्णय से यह विवाद निर्णित किया गया। इसमें यह निर्णित किया गया है किः–

"However, it may be clarified that because of the provisions made in Note 8 read with Note appended to Rule 6 a Senior Teacher drawing pay in second selection grade of 6500-10500 prior to 1.7.1998 and promoted as senior Teacher but after 1.7.1989 who has not completed 10 years as senior Teacher at the time of commencement of the Act his pay in pay-scale of 6500-10500 was protected as personal to him, though he would become eligible to such scale under the new rules of 1998 only on completion of 10 years. In this view of the matter, the rights of the respondents even under the aforesaid provision remain intact and unaffected and it could not have any adverse effect on them.

But those who have been promoted as Senior Teachers drawing their pay in Second Selection Grade of 6500-10500 will not be eligible for this pay protection because even under the Rules of 1998 as initially exist, they were to be promoted to senior Scale, which was Rs.5500-9000 only. But because of lacuna in the Rules originally enacted, not providing any specific provision, their fixation has been wrongly made by considering all Senior Teachers to be of the same category. The initial fixation in higher pay-scale being without any mistake on their part, until Notification of amendment, the resultant recoveries of excess amount paid to them has been waived.

Accordingly, with the clarification the appeals are allowed. The Judgment aforesaid under appeal declaring Notification dated 8.7.2001 to be ultravires is set&aside. However, the view which we have taken on interpretation of the Rules, the existing teachers who have been promoted as Senior Teacher in the second Selection Grade prior to commencement of the Rules at any time but because of non-completion of 10 years of service as Senior Teacher under the revised rules were required to be fixed in lower pay-scale, their continuance in the higher pay-scale was protected as pay-scale personal to them under Note to Rule 6. The rights of all the appellants stand protected to this extent. In that light, the writ petitions filed by the appellants stand allowed to that extent.

उक्त निर्णय के दृष्टिगत प्रत्यर्थी विभाग द्वारा आदेश दिनांक 04.06.2010 द्वारा यह निर्णय किया कि जिन कार्मिकों ने याचिका दायर की है उनको माननीय उच्च न्यायालय के निर्णयानुसार लाभ प्रदान किया जा चुका है परन्तु अन्य समान प्रकरणों जिनमें न्यायिक प्रकरण नहीं है उनको भी समान रूप से लाभ दिया जायेगा। उक्त आदेश का प्रभावी अंश नियमानुसार हैः—

"अब राज्य सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि इस निर्णय के समरूप सभी प्रकरणों में उन अध्यापकों को जिनका कोई न्यायिक प्रकरण नहीं है एवं जो दिनांक 01.07.1998 से पूर्व चयनित वेतनमान के रूप में वेतनमान (6500—10500) में वेतन प्राप्त कर रहे थे, को उक्त चयनित वेतनमान का परिलाभ राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतनमान) नियम, 1998 के नियम 6 के नीचे अंकित टिप्पणी के अनुसार व्यक्तिगत वेतनमान (Personal Pay Scale) के रूप में प्राप्त होगा।"

इससे स्पष्ट है कि जिन कार्मिकों की वरिष्ठ अध्यापक के पद पर पदोन्नति दिनांक 01.07.1989 से पश्चात हुई एवं दिनांक 01.07.1998 को वरिष्ठ अध्यापक के पद पर 09 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं हुई हैं एवं दिनांक 01.07.1998 से पूर्व से चयनित वेतनमान के रूप में वेतनमान 6500—10500 में वेतन प्राप्त कर रहे है तो उक्त चयनित वेतनमान का लाभ व्यक्तिगत वेतनमान के रूप में देय होगा। अर्थात् अधिक प्राप्त कर

रहे वेतन को भविष्य की पदोन्नति/चयनित वेतनमान/एसीपी इत्यादि में समायोजन किया जायेगा एवं वरिष्ठ अध्यापक के पद पर 10 वर्ष की सेवाए पूर्ण होने पर 6500–10500 का चयनित वेतनमान स्वीकृत किया जायेगा। इस प्रकार स्पष्ट है कि अपीलार्थी की वरिष्ठ अध्यापक पद पर पदोन्नति दिनांक 30.09.1994 को हुई है, जो दिनांक 01.07.1989 के पश्चात परन्तु दिनांक 01.07.1998 से पहले होने से वेतन नियतन वेतनमान 5500–9000 में होना था परन्तु वेतन नियतन 6500–10500 में होने से माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के दृष्टिगत विभागीय आदेश दिनांक 04.06.2010 द्वारा उक्त चयनित वेतनमान 6500–10500 का परिलाभ व्यक्तिगत वेतनमान के रूप में स्वीकृत योग्य है। लिहाजा अपीलार्थी को वरिष्ठ अध्यापक के पद पर 10 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर 6500–10500 का चयनित वेतनमान ही स्वीकार योग्य है।

विभागीय आदेश दिनांक 02.02.2011 द्वारा यह स्पष्ट किया है कि तृतीय वेतन श्रृंखला से पदोन्नत वरिष्ठ अध्यापकों को व्यक्तिगत वेतनमान 6500–10500 के मामलों में पुनरीक्षित वेतनमान 2008 में ग्रेड–पे 4200/– रुपये से अधिक देय नहीं होगा। साथ ही प्रत्यर्थी विभाग का आदेश दिनांक 30.08.1999 उक्त जारी अधिसूचना दिनांक 08.06.2001 के पश्चात प्रभावी नहीं रह जाता है।

राजस्थान सिविल सर्विसेज (रिवाइज्ड पे स्केल्स) रूल्स 2008 के अन्तर्गत Assured Career Progression (ACP) का प्रावधान किया गया है। आदेश दिनांक 02.02.2011 को माननीय उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा एस.बी. सिविल रिट पिटीशन संख्या 3375/2011 भंवर लाल सोनी बनाम राजस्थान राज्य एवं समान अन्य 12 प्रकरणों में निर्णय दिनांक 08.02.2012 द्वारा इसे निर्णित कियाः–

"In the light of aforesaid discussion, there is no illegality in the circular/ order dated 2.2.2011 but default lies in regard to its implementation. The order dated 2.2.2011 is not applicable to erstwhile Teacher Gr III drawn selection grade of Rs. 6500-10500 and promoted to the post of Senior Teacher on or before 1.7.1989 and Teachers Gr III, who have been given promotion to the post of Senior Teacher on or before 1.7.1998 and have completed 10 years of service thus become entitled for the pay scale of Rs. 6500-10500 and thereafter entitled to the benefit of third ACP having not given benefit of three financial up-gradation earlier and if benefit of third financial up-gradation was given then they were fixed in the pay scale of Rs.7500-12000.

The other Teachers, who were initially appointed as Teacher Gr III and were not given benefits mentioned in para above, would be governed by the circular dated 2.2.2011.

The respondents are directed to undertake necessary exercise in view of the clarification and directions given above. However, respondents are restrained to recover the amount paid to the petitioners even if it is found in excess to their entitlement as payment was not made to the petitioners on account of their misrepresentation or fraud but was at the instance of respondents themselves. Accordingly, the respondents are directed to carry out the directions and it goes without saying that while applying the revised Rules of 2008, Rule 6 (2) would also be taken note of."

माननीय उच्च न्यायालय के उक्त निर्णय के पश्चात प्रत्यर्थी विभाग द्वारा उक्त निर्णय की अनुपालना में आदेश दिनांक 12.10.2012 जारी किया। इसका प्रासंगिक अंश निम्नानुसार हैः–

"As per the above judgement the Senior Teachers, who were drawing pay in the personal grade pay of Rs- 4200/- and have not completed service of 10 years on the post of Senior Teachers before grant of third ACP- shall be granted third ACP in the grade pay of Rs. 4200/- On grant of third ACP in the grade pay of Rs- 4200/-, the pay of such Senior Teachers shall be increased equal to 3% of the sum of the pay in the RPB and the grade pay of Rs- 4200/-.

The Senior Teachers of following categories, are eligible for hird ACP in the grade pay of Rs. 4800/-.

(1) Teacher Gr- III drawing pay in the second selection grade of 6500-10500 and promoted to the post of Senior Teacher prior to 01.07.1989 and were allowed to draw pay in the pay scale of 6500-10500 a Senior Scale of Senior Teacher.

(2) The Teacher Gr.-III, who have been promoted as Senior Teacher between the period from 01.07.1989 to 30.06.1998 (both days inclusive) and have completed 10 years of service before 01.09.2006 and thus the personal pay scale of 6500-10500 has been converted into Senior Scale of Senior Teacher.

The authorities competent to grant ACP to Senior Teachers, are directed to grant third ACP to Senior Teachers as clarified above.

These directions are being issued with the FD(Rules) vide their ID No. 221201438 dated 04.10.2012."

उक्त तथ्यों के दृष्टिगत स्पष्ट है कि अपीलार्थी को ग्रेड पे 6500–10500 उसके व्यक्तिगत वेतनमान में स्वीकृत थी। अपीलार्थी के वरिष्ठ अध्यापक के पद पर पदोन्नति दिनांक 23.09.1994 को होने के आधार पर उन्हें 10 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर दिनांक 23.09.1994 से उसकी व्यक्तिक पे–स्केल 6500–10500 वरिष्ठ अध्यापक की वरिष्ठ वेतन श्रृंखला में परिवर्तित होगी। वरिष्ठ वेतनमान के रूप में वेतन श्रृंखला

7500–12000 देय नहीं है। इसी आधार पर अपील में चाहा गया अनुतोष स्वीकार योग्य नहीं है।

अतः उक्त तथ्यों के मध्यनजर अपील बलहीन एवं सारहीन होने से खारिज की जाती है।

आदेश आज दिनांक.....को हमारे द्वारा लिखाया जाकर मुद्रांकित एवं हस्ताक्षरित कर उद्घोषित किया गया।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)